

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खण्ड3-, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं0 45/2017-संघ राज्यक्षेत्र कर(दर)

नई दिल्ली, 14 नवंबर, 2017

सा.का.नि. (अ संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017(2017का 14) (इस अधिसूचना में एतश्मिन पश्चात जिसे "उक्त अधिनियम" से संदर्भित किया गया है) की धारा 8 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए की ऐसा करना जनहित में आवश्यक है तथा परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट वस्तुओं को उक्त अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत उन पर लगाए गए संघ राज्यक्षेत्र कर से उस हद तक छूट देती है जिस हद तक वह उक्त सारणी के कॉलम (2) में दी गई तत्संबंधी प्रविष्टि में निर्दिष्ट संस्थानों को आपूर्ति किए जाने पर 2.5 प्रतिशत की दर से संगणित राशि से अधिक होते हैं बशर्ते की उक्त सारणी के कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी होती हों-

सारणी

क्रम सं.	संस्थानों का नाम	वस्तुओं का विवरण	शर्तें
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सार्वजनिक कोष से सहायता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय या भारतीय प्रोद्योगिकी संस्थान या भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर या राष्ट्रीय प्रोद्योगिकी संस्थान/क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज जो अस्पताल से भिन्न हों।	(क) वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण, उपस्कर, औजार (कम्प्यूटर समेत); (ख) सहायक वस्तुएं, कलपूर्जे, उपभोग वाली वस्तुएं और जीवित पशु (प्रयोग के उद्देश्य से); (ग) कम्प्यूटर साफ्टवेयर काम्पेक्ट डिस्क-रीड ऑनली मेमोरी (सीडी-रोम), रिकोर्डड मेगनेटिंग टेप्स, माइक्रोफिल्म्स,	(i) इन वस्तुओं की आपूर्ति निम्नलिखित को या के लिए की जाती हो - (क) भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग या परमाणु ऊर्जा विभाग या रक्षा अनुसंधान विभाग संगठन के प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले अनुसंधान संस्थान जिनको सार्वजनिक कोष से वित्त पोषित किया जाता हो और ऐसा संस्थान

		<p>माइक्रोफिसेस; (घ) प्रोटोटाइप्स, प्रोटोटाइप्स का सकल मूल्य जोकि किसी संस्थान द्वारा प्राप्त किया जाता है किसी एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रु से अधिक न हो।</p>	<p>कम से कम उप सचिव, भारत सरकार या उप सचिव, राज्य सरकार या उप सचिव, संघ राज्य के स्तर के अधिकारी, संबंधित विभाग से प्राप्त इस आशय का प्रमाण-पत्र विशिष्ट वस्तुओं की आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को प्रस्तुत करता हो; या (ख) कोई संस्थान जोकि भारत सरकार के विज्ञान एवं अनुसंधान विभाग में पंजीकृत हो और ऐसा संस्थान कम से कम भारत सरकार के उप सचिव या राज्य सरकार के उप सचिव या संघ राज्य के उप सचिव, संबंधित विभाग के, स्तर के अधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र विशिष्ट माल की आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को प्रस्तुत करता हो; (ii) ऐसा संस्थान, आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को प्रत्येक मामले में संस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे की उक्त माल की जरूरत अनुसंधान के उद्देश्य के लिए है; (iii) जीवित जंतुओं की आपूर्ति के मामले में, प्रयोग के उद्देश्य के लिए, ऐसा संस्थान आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को ऐसे संस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता हो कि ऐसे जीवित जीव जंतु की अनुसंधान के लिए जरूरत है और साथ ही वह</p>
--	--	--	---

			प्रणियों पर प्रयोग के नियंत्रण और निरीक्षण के उद्देश्य संबंधी समिति के द्वारा जारी एक अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न करता हो।
2.	अस्पताल से भिन्न अनुसंधान संस्थान	<p>(क) वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण, उपस्कर, औजार (कम्प्यूटर समेत);</p> <p>(ख) सहायक वस्तुएं, कलपूर्जे, उपभोग वाली वस्तुएं और जीवित पशु (प्रयोग के उद्देश्य से);</p> <p>(ग) कम्प्यूटर साफ्टवेयर काम्पेक्ट डिस्क-रीड ऑनली मेमोरी (सीडी-रोम), रिकोर्डड मेगनेटिंग टेप्स, माइक्रोफिल्म्स, माइक्रोफिसेस;</p> <p>(घ) प्रोटोटाइप्स, प्रोटोटाइप्स का सकल मूल्य जोकि किसी संस्थान द्वारा प्राप्त किया जाता है किसी एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रु से अधिक न हो।</p>	<p>(1) ऐसे संस्थान जो भारत सरकार के विज्ञान एवं अनुसंधान विभाग में पंजीकृत हो; जोकि -</p> <p>(i) आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को संस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र, प्रत्येक मामले में प्रस्तुत करता हो कि उक्त वस्तु अनुसंधान के उद्देश्य के लिए आवश्यक है और इसका प्रयोग उक्त उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा;</p> <p>(ii) जीवित जंतुओं की आपूर्ति के मामले में, प्रयोग के उद्देश्य के लिए, ऐसा संस्थान आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को ऐसे संस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता हो कि ऐसे जीवित जीव जंतु की अनुसंधान के लिए जरूरत है और साथ ही वह प्रणियों पर प्रयोग के नियंत्रण और निरीक्षण के उद्देश्य संबंधी समिति के द्वारा जारी एक अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न करता हो।</p> <p>(2) उपर्युक्त (1) के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं को संस्थान के द्वारा स्थापित किए जाने के 5 वर्ष की अवधि तक न तो स्थानांतरित किया जाएगा न ही बेचा जाएगा।</p>

3.	केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के विभाग और प्रयोगशालाएं, अस्पताल से भिन्न	<p>(क) वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण, उपस्कर, औजार (कम्प्यूटर समेत);</p> <p>(ख) सहायक वस्तुएं, कलपूर्जे, उपभोग वाली वस्तुएं और जीवित पशु (प्रयोग के उद्देश्य से);</p> <p>(ग) कम्प्यूटर साफ्टवेयर काम्पेक्ट डिस्क-रीड ऑनली मेमोरी (सीडी-रोम), रिकोर्डड मेगनेटिंग टेप्स, माइक्रोफिल्म्स, माइक्रोफिसेस;</p> <p>(घ) प्रोटोटाइप्स, प्रोटोटाइप्स का सकल मूल्य जोकि किसी संस्थान द्वारा प्राप्त किया जाता है किसी एक वित्तीय वर्ष में 50,000 रु से अधिक न हो।</p>	<p>(i) यह संस्थान, आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को संस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र, प्रत्येक मामले में प्रस्तुत करता हो कि उक्त वस्तु अनुसंधान के उद्देश्य के लिए आवश्यक है और इसका प्रयोग उक्त उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा;</p> <p>(ii) जीवित जंतुओं की आपूर्ति के मामले में, प्रयोग के उद्देश्य के लिए, ऐसा संस्थान आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को ऐसे संस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता हो कि ऐसे जीवित जीव जंतु की अनुसंधान के लिए जरूरत है और साथ ही वह प्रणियों पर प्रयोग के नियंत्रण और निरीक्षण के उद्देश्य संबंधी समिति के द्वारा जारी एक अनापति प्रमाण पत्र भी संलग्न करता हो।</p>
4.	क्षेत्रीय कैंसर सेंटर (कैंसर संस्थान)	<p>(क) वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरण, उपस्कर, औजार (कम्प्यूटर समेत);</p> <p>(ख) सहायक वस्तुएं, कलपूर्जे, उपभोग वाली वस्तुएं और जीवित पशु (प्रयोग के उद्देश्य से);</p> <p>(ग) कम्प्यूटर साफ्टवेयर काम्पेक्ट डिस्क-रीड ऑनली मेमोरी (सीडी-रोम), रिकोर्डड मेगनेटिंग टेप्स, माइक्रोफिल्म्स, माइक्रोफिसेस;</p>	<p>(i) ऐसी वस्तुओं की आपूर्ति भारत सरकार के विज्ञान एवं अनुसंधान विभाग में पंजीकृत क्षेत्रीय कैंसर केंद्र को की जा रही हो और ऐसा संस्थान कम से कम भारत सरकार के उप सचिव या राज्य सरकार के उप सचिव या संघ राज्य के उप सचिव, संबंधित विभाग के, स्तर के अधिकारी से प्राप्त प्रमाणपत्र विशिष्ट माल की आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को प्रस्तुत करता हो;</p>

			<p>(ii) यह संस्थान, आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को संस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र, प्रत्येक मामले में प्रस्तुत करता हो कि उक्त वस्तु अनुसंधान के उद्देश्य के लिए आवश्यक है;</p> <p>(iii) जीवित जंतुओं की आपूर्ति के मामले में, प्रयोग के उद्देश्य के लिए, ऐसा संस्थान आपूर्ति के समय आपूर्तिकर्ता को ऐसे संस्थान के प्रमुख से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करता हो कि ऐसे जीवित जीव जंतु की अनुसंधान के लिए जरूरत है और साथ ही वह प्रणियों पर प्रयोग के नियंत्रण और निरीक्षण के उद्देश्य संबंधी समिति के द्वारा जारी एक अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न करता हो।</p>
--	--	--	---

स्पष्टीकरण- इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए अभिव्यक्ति -

(क) "सार्वजनिक कोष से पोषित वित्त संस्थान" से अभिप्राय ऐसे अनुसंधान संस्थान से है जिनके व्यय का कम से कम 50 प्रतिशत केंद्र सरकार या कोई राज्य सरकार या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन द्वारा वहन किया जाता हो;

(ख) "विश्वविद्यालय" से अभिप्राय ऐसे विश्वविद्यालय से है जिनकी स्थापना या निगमन किसी केंद्र राज्य या प्रांतीय अधिनियम के अंतर्गत हुआ हो और इसमें शामिल हैं -

(i) ऐसा कोई संस्थान जिसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 के अंतर्गत इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए मानद विश्वविद्यालय के रूप में घोषित किया गया हो;

- (ii) ऐसा कोई संस्थान जिसे संसद के द्वारा किसी कानून के तहत राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया हो;
- (iii) कोई कालेज जो किसी विश्वविद्यालय के द्वारा देखा जाता हो या उससे संबद्ध हो;
- (ग) "प्रमुख" से अभिप्राय-
- (i) किसी संस्थान के मामले में उसके निदेशक से है (उसे चाहे जिस नाम से भी जाना जाता हो);
- (ii) किसी विश्वविद्यालय के मामले में उसके रजिस्ट्रार से है (उसे चाहे जिस नाम से भी जाना जाता हो);
- (iii) किसी कालेज के मामले में उसके प्रधानाचार्य से है (उसे चाहे जिस नाम से भी जाना जाता हो);
- (घ) "अस्पताल" में शामिल हैं ऐसे कोई भी संस्थान, सेंटर, न्यास, समिति, संघ, प्रयोगशाला या मैटरनिटी होम जो कि चिकित्सा, शल्य चिकित्सा या नैदानिक सेवा प्रदान करते हैं।
2. यह अधिसूचना 15, नवंबर 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा. सं. 354/320/2017-टीआरयू]

(रूचि विष्ट)

अवर सचिव भारत सरकार